

फा.सं.3/16/2014-एसडी/एएम
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र
प्रशासन (सूत्रधार)

दिनांक : 29 सितंबर, 2014

विषय: छुट्टी यात्रा रियायत के दावों से संबंधित व्यय का विनियमन - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कर्मचारी।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के स्थायी कर्मचारी (जिन्हें ग्रेड वेतन मिलता है), केंद्र सरकारी कर्मचारियों को देय छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होते हैं। इसकी मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं और पूरी शर्तें समय-समय पर जारी किए गए सरकारी आदेशों में दी गई हैं (इसके अलावा, स्वामी की नियम-पुस्तिका में भी उद्धृत की गई हैं):

- (क) चार वर्ष का पिछला ब्लॉक 2010-11 और 2012-13 थे और चार वर्ष का वर्तमान ब्लॉक 2013-14 और 2015-16 है और इस प्रकार चार वर्ष का ब्लॉक आगे भी जारी रहेगा।
- (ख) कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य चार वर्ष के ब्लॉक के दो वर्ष के ब्लॉक में अपने मूल निवास स्थान के लिए एक बार छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होता है।
- (ग) चार वर्ष के एक ब्लॉक में एक बार कर्मचारी स्वयं के लिए और परिवार के सदस्यों के लिए भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठा सकता है। यह रियायत चार वर्ष के एक ब्लॉक में अपने मूल स्थान की दो यात्राओं में से एक के बदले स्वीकार्य है।
- (घ) न भर्ती कर्मचारियों के मामले में वे लगातार तीन वर्ष के संबंध में अपने गृह नगर की यात्रा कर सकते हैं और चार वर्ष में भारत में किसी भी स्थान की यात्रा कर सकते हैं। उनके बाद की छुट्टी यात्रा रियायत पर उपर्युक्त नियम लागू होगा। छुट्टी यात्रा रियायत के व्यय को अलग से संकलित किया गया है और यह निधि की उपलब्धता पर ही खर्च किया जाएगा।

हालांकि छुट्टी यात्रा रियायत प्रत्येक वर्ष में उपलब्ध है और इस प्रकार इस पर किए जाने वाले व्यय को 4 वर्षों के एक ब्लॉक में लगभग बराबर वितरित किया जाना चाहिए। लेकिन पिछला अनुभव रहा है कि कर्मचारी चार वर्ष के ब्लॉक के अंतिम वर्ष में या बढ़ाई गई अवधि में चार वर्ष के छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ उठाते हैं। इससे ब्लॉक के अंतिम वर्ष में छुट्टी यात्रा रियायत से संबंधित व्यय अपसामान्य रूप से बढ़ जाता है और इस प्रवृत्ति से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की बजट तैयार करने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है कि छुट्टी यात्रा रियायत से संबंधित व्यय समान रूप से बांटा जाना चाहिए और इससे वर्ष विशेष का बजट आबंटन बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कर्मचारियों को छुट्टी यात्रा रियायत दिए जाने के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

- (क) छुट्टी यात्रा रियायत का बजट केंद्रीय रूप से उपलब्ध किया जाएगा और यह स्थापना अनुभाग के पास रहेगा।
- (ख) छुट्टी यात्रा रियायत पर 'पहले आओ पहले पाओ' का सिद्धांत लागू होगा। कर्मचारियों को काफी पहले स्थापना अनुभाग में छुट्टी यात्रा रियायत के लिए आवेदन करना होगा और स्थापना अनुभाग अनुमति देने से पहले निधियों की उपलब्धता की जांच करेगा।
- (ग) कोई भी कर्मचारी 6 माह के अंदर की जाने वाली यात्रा के संबंध में अग्रिम रूप से अनुमति ले सकता है, लेकिन यदि अनुमति लेने के बाद कोई कर्मचारी यात्रा नहीं करता है तो उसकी छुट्टी यात्रा रियायत की हकदारी को निधि की उपलब्धता के आधार पर वर्ष के अंत में अंतिम प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, छुट्टी यात्रा रियायत को अगले वर्ष ले जाने की अनुमति कर्मचारी को वर्ष/ ब्लॉक वर्ष समाप्त होने से पहले लेनी होगी न कि वर्ष/ब्लॉक वर्ष समाप्त होने के बाद।

उपर्युक्त नियम यह परिपत्र जारी होने की तारीख से लागू होगा।

सभी विभागध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों/ अनुभाग प्रभारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ध्यान में उपर्युक्त परिपत्र को लाएं।

ह./- जयंत कुमार रे
निदेशक (प्रशासन)

वितरण:

1. सभी विभागध्यक्ष
2. सभी अनुभाग प्रभारी
3. सदस्य सचिव के निजी सचिव
4. संयुक्त सचिव के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक